विषय विषय : भारत सरकार द्वारा प्रेषित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2017 में की गई अनुशंसा अन्तर्गत कार्यवाही करने विषयक ।

भारत सरकार द्वारा प्रेषित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान-2017 की अनुशंसा क्रमांक 86 अन्तर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों यथा औद्योगिक, व्यवसायिक, सेवा इकाईयों के वैधानिक निरीक्षण की व्यवस्था को सरलीकृत करने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

2. उक्त प्रणाली अन्तर्गत श्रम विभाग, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायलर संचालनालय इत्यादि से संबंधित नियम एवं अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित वैधानिक निरीक्षणों हेतु सरलीकृत व्यवस्था निर्मित की जा सकेगी । प्रस्ताव अन्तर्गत निरीक्षणों का निम्नानुसार प्रबंधन किया जावेगा :-

- **जोखिम आधारित वर्गीकरण (कम्प्यूटर जनित)** – व्यवसाय अन्तर्गत जोखिम (उच्च, मध्यम एवं निम्न) के स्तर के आधार पर इकाईयों के निरीक्षण हेतु इस प्रणाली द्वारा कम्प्यूटर जनित सूची जारी की जावेगी।
- **निरीक्षकों की अनुसूची** - जोखिम मूल्यांकन विश्लेषण के आधार पर निरीक्षण/निरीक्षकों की अनुसूची जारी की जावेगी, जिससे केवल उच्च जोखिमधारी इकाईयों का ही विभागीय निरीक्षण किया जा सके । व्यवस्था इस प्रकार की जावेगी कि एक निरीक्षक एक ही इकाई का लगातार दो बार निरीक्षण न कर सके ।
- मध्यम तथा अल्प जोखिमधारी इकाईयों के लिए तृतीय पक्ष से निरीक्षण तथा स्वप्रमाणन की व्यवस्था की जावेगी ।
- अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन को 48 घंटे के अन्दर अपलोड करने तथा उसको संबंधित विभागों/प्रतिष्ठान में प्रस्तुत करने की व्यवस्था निर्धारित की जावेगी।
- निरीक्षण के पूर्व निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र, निरीक्षण किये जाने वाले प्रतिष्ठानों को भेजने की व्यवस्था की जावेगी ।

3. उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वित करने के पूर्व सभी संबंधित विभागों/निरीक्षकों को लॉगइन विवरण (Logins Details) उपलब्ध कराने के साथ संबंधित विभागों के विभिन्न

Scanned by CamScanner

विषय :—

विषय : भारत सरकार द्वारा प्रेषित बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान 2017 में की गई अनुशंसा अन्तर्गत कार्यवाही करने विषयक ।

स्तरों पर अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जायेगा । उपरोक्त व्यवस्था क्रियान्वित किये जाने के पश्चात संबंधित विभाग/संगठन केन्द्रीयकृत निरीक्षण प्रणाली (Central Inspection System) का उपयोग उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्य हेतु कर सकेगें ।

प्रस्तावित व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु कृपया संबंधितों को समुचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें ।

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग

Letter No. 2573 PS, Labour/2017
Date 6/9/17

Scanned by CamScanner